

**न्यायालय- कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद (म.प्र.)**  
**आवश्यक सूचना**

क्रमांक-2/स्टेनो/2021

होशंगाबाद दिनांक 11.01.2021

समस्त अधिवक्तागण एवं पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक ए/62 जबलपुर दिनांक 09.01.2021 द्वारा दिनांक 11.01.2021 से 15.01.2021 तक के अवधि में धारा-125 से 128 द.प्र.सं., दत्तक ग्रहण से संबंधित मामलों, 5 वर्ष से अधिक पुराने समस्त प्रकृति के प्रकरणों तथा तात्कालिक प्रकृति के समस्त प्रकरणों में सीमित भौतिक सुनवाई (Limited Physical Hearing) किया जाने का आदेश दिया गया है, जिसके अनुसरण में निम्नानुसार निर्देश जारी किया जाता है।

उक्त दिनाकों को नियत उक्त प्रकृति के समस्त प्रकरणों के पक्षकार अपने साक्षियों सहित उपस्थित रहें।

उक्त दिनाकों को उक्त प्रकृति के नियत समस्त प्रकरणों में भौतिक रूप से साक्ष्य लिये जाने एवं तर्क सुने जाने आदि का कार्यवाही किया जावेगा।

दिनांक 11.01.2021 से 15.01.2021 के मध्य समस्त प्रकरणों में सीमित भौतिक सुनवाई के अतिरिक्त वीडियो कांफ्रेंसिंग अथवा अन्य सुविधाजनक तरीकों से भी सुनवाई जारी रहेगी।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी उक्त परिपत्र में दिये गये निर्देश के अनुसरण में यह स्पष्ट किया जाता है कि -

1. पक्षकारों, गवाहों एवं अधिवक्तागण की उपस्थिति न्यायालय के फाईल के आदेश पत्र में दर्ज की जावेगी, किंतु आगामी आदेश तक उनके हस्ताक्षर कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए नहीं लिया जावेगा।
2. शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू का सेवन किये हुये व्यक्ति का न्यायालय कक्ष में प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा।
3. ऐसा कोई भी पक्षकार, साक्षी एवं अधिवक्ता जिन्हें बुखार या सर्दी-जुकाम जैसे लक्षण हों, उन्हें न्यायालय कक्ष में उपस्थित होने का अनुमति नहीं रहेगा।
4. केवल ऐसे पक्षकार तथा अधिवक्ता ही न्यायालय कक्ष में प्रवेश करेंगे, जिनके मामलें सुनवाई हेतु नियत हों।
5. न्यायालय कक्ष में केवल उन्हीं पक्षकार एवं अधिवक्तागण, जिनके मामलें के सुनवाई हेतु पुकार लगाई हो, वे ही न्यायालय कक्ष में प्रवेश करेंगे अन्य पक्षकार एवं अधिवक्तागण न्यायालय कक्ष के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए अपने प्रकरण में पुकार लगाए जाने तक इंतजार करेंगे।
6. अधिवक्तागण अपने स्वयं के केस का फाईल लेकर आवेंगे, तथा मामले की सुनवाई होने के तुरंत बाद न्यायालय कक्ष से बाहर जावेंगे।

न्यायालयीन प्रक्रिया से हितवद्ध सभी व्यक्तियों से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु उपरोक्तानुसार व्यवस्था में सहयोग देने की अपेक्षा की जाती है।

Sr.

(देव नारायण शुक्ल)

प्रधान न्यायाधीश

कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद(म.प्र.)

**प्रतिलिपि:-**

- 1- अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ होशंगाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अधिवक्तागण को व्हाट्सएप आदि के माध्यम से सूचित करें।
- 2- सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय होशंगाबाद की ओर भेजकर निर्देश है कि परिपत्र की प्रति न्यायालय के वेबसाईड पर अपलोड करें।

(देव नारायण शुक्ल)

प्रधान न्यायाधीश

कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद(म.प्र.)